# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 68 सन 2018

अनवान :–

1. हजारीराम पुत्र बिशाउराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

**सायल**

**बनाम**

1. रामस्वरूप पुत्र गिरधारी जाति खटीक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**गैर सायल**

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता सायल
श्री हवासिह पुनयि अधिवक्ता गैरसायल–1

**निर्णय दिनांक :–** 16/03/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्व गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 624/175 के खसरा न0 184/1.7190हैक , खसरा न0 512/2 की 4.2990हैक खसरा न0 542/2 की 2.6550हैक कुल 8.6730हैक भूमि जिसके सायल अकेला खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 472/175 के खसरा न0 512/1 की 5.9940हैक भूमि जिसका गैरसायल न0 1 खातेदार काश्तकार है।

सायल व गैरसायल की भूमि की सीव चिपती हुई है वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को सुधार पर समतल व उपजाउ बना रखा है एवं वादी ने अपने खेत के चारों और सीव पर बेरी खेजडी आदी के पेड लगा रखे है जिसको गैरसायल न0 1 काटने की फिराक में है एवं रोजाना सीव पर झगडा करता रहता है सायल वृद्व व्यक्ति है एव एक आखं से अन्धा भी है।

सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह सायल के कब्जा काश्त की भूमि में दखल नही करे ना ही सायल के खेत की सीव पर खडे पडों को किसी प्रकार का नुकसान पहुचाये।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सायल की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 624/175 के खसरा न0 184/1.7190हैक , खसरा न0 512/2 की 4.2990हैक खसरा न0 542/2 की 2.6550हैक कुल 8.6730हैक भूमि की सीव डोल को नही तोडे एव ना ही सीव पर खडे पडों को किसी प्रकार का नुकसान पहुचाया जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल न0 1 जरिये अधिवक्त न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

सायल झगडालू किस्म का व्यक्ति है जो आये दिन गैरसायल से झगडा करता रहता है सायल स्वय ने विवादित भूमि की पैमाईश करवाई थी जिसमे सायल व गैरसायल को अपनी अपनी भूमि की निशानदेही दी गई थी उसी के मुताबिक काबिज है सायल अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में सीव तोडकर गैरसायल के खेत में घुसना चाहता है इसलिये उतरादाता के खिलाफ किसी प्रकार की निषधाज्ञा जारी नही की जा सकती है गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है तथा सायल क्लीन हैण्ड से नही आया है लालचवंश प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि गैरसायल रिटायर्ड कर्मचारी है एवं शान्तिप्रिय व्यक्ति है जो अपनी भूमि पर काबिज है सायल झगडालू किस्म का व्यक्ति है जो गैरसायल को तग परेशान एवं गैरसायल न0 1 की भूमि में घुसने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है खारिज फरमाया जावें।

गैरसायल का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 624/175 के खसरा न0 184/1.7190हैक , खसरा न0 512/2 की 4.2990हैक खसरा न0 542/2 की 2.6550हैक कुल 8.6730हैक भूमि जिसके सायल अकेला खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 472/175 के खसरा न0 512/1 की 5.9940हैक भूमि जिसका गैरसायल न0 1 खातेदार काश्तकार है।

सायल व गैरसायल की भूमि की सीव चिपती हुई है वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को सुधार पर समतल व उपजाउ बना रखा है एवं वादी ने अपने खेत के चारों और सीव पर बेरी

खेजडी आदी के पेड लगा रखे है जिसको गैरसायल न0 1 काटने की फिराक में है एवं रोजाना सीव पर झगडा करता रहता है सायल वृद्ध व्यक्ति है एव एक आखं से अन्धा भी है।

सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह सायल के कब्जा काश्त की भूमि में दखल नही करे ना ही सायल के खेत की सीव पर खडे पडों को किसी प्रकार का नुकसान पहुचाये।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सायल की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 624/175 के खसरा न0 184/1.7190हैक , खसरा न0 512/2 की 4.2990हैक खसरा न0 542/2 की 2.6550हैक कुल 8.6730हैक भूमि की सीव डोल को नही तोडे एव ना ही सीव पर खडे पडों को किसी प्रकार का नुकसान पहुचाया जावे।

गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की सायल झगडालू किस्म का व्यक्ति है जो आये दिन गैरसायल से झगडा करता रहता है सायल स्वय ने विवादित भूमि की पैमाईश करवाई थी जिसमे सायल व गैरसायल को अपनी अपनी भूमि की निशानदेही दी गई थी उसी के मुताबिक काबिज है सायल अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में सीव तोडकर गैरसायल के खेत में घुसना चाहता है इसलिये उतरादाता के खिलाफ किसी प्रकार की निषधाज्ञा जारी नही की जा सकती है गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है तथा सायल क्लीन हैण्ड से नही आया है लालचवंश प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि गैरसायल रिटायर्ड कर्मचारी है एवं शान्तिप्रिय व्यक्ति है जो अपनी भूमि पर काबिज है सायल झगडालू किस्म का व्यक्ति है जो गैरसायल को तग परेशान एवं गैरसायल न0 1 की भूमि में घुसने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण वर्णित विवाद का साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद में निस्तारण होना है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 624/175 के खसरा न0 184/1.7190हैक , खसरा न0 512/2 की 4.2990हैक खसरा न0 542/2 की 2.6550हैक कुल 8.6730हैक भूमि जिसके सायल अकेला खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 472/175 के खसरा न0 512/1 की 5.9940हैक भूमि जिसका गैरसायल न0 1 खातेदार काश्तकार है। सायल व गैरसायल दोनो ही रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं एक दुसरे के चिपते हुए खेत पडोसी है अर्थात सुविधा का सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण दोनो के पक्ष में समान रूप से पाया जाता है।

सायल का कथन है गैरसायल मेरे खेत की सीव तोड रहा है इसी प्रकार गैरसायल का कथन है कि सायल मेरे खेत की सीव तोड रहा है किसी भी खातेदार की भूमि की सीव डोल को तोडना न्यायोचित नही है हस्तगत प्रार्थना पत्र में दोनो ही पक्ष एक दुसरे पर सीव तोडने का आरोप लगा रहे है और दोनो की पक्ष खातेदार काश्तकार है एवं एक दुसरे के खेत पडोसी भी है यदि दोनो पक्षों को अपनी खातेदारी भूमि की सीव के सम्बध में किसी प्रकार का सन्देह है तो वे सक्षम कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश नियमानुसार अपनी अपनी भूमि की पैमाईश करवा कर अपनी अपनी सीव की निशानदेही प्राप्त कर सकते है बिना किसी आधार के विवाद किया जाना उचित नही है।

प्रार्थना पत्र सायल के द्वारा न्यायालय में पेश किया गया है अर्थात सायल के कब्जा काश्त की भूमि की सीव पर किसी प्रकार का दखल गैरसायल के द्वारा किया गया है गैरसायल न0 1 का मात्र कथन है यदि सायल ने किसी प्रकार का दखल गैरसायल की सीव में दिया गया होता तो गैरसायल न्यायालय में आता अर्थात अपूर्णीय क्षति का बिन्दु गैरसायल के स्थान पर सायल के पक्ष में अधिक प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 20.06.2018 को रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 624/175 के खसरा न0 184/1.7190हैक , खसरा न0 512/2 की 4.2990हैक खसरा न0 542/2 की 2.6550हैक कुल 8.6730हैक भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है उक्त भूमि में यदि खाला व रास्ता है तो उस पर उक्त स्थगन आदेश लागू नही होगा व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/3/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर( हनुमानगढ)